संख्या 5940/आठ–1–08–2008

प्रेषक,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 08 नवम्बर, 2008

विषय : अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेट बैक में चौकीदार रूम–कम–वाच टावर व अन्य ऐसी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 901/वी.सी./टीपी./2008, दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 के सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेट बैक में चौकीदार रूम–कम–वाच टावर व अन्य ऐसी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं, जो कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, को अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित उपविधि पर अपेक्षानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दिए गए अभिमत के क्रम में अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसकी प्रति संलग्न है।

3. कृपया उक्त उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड से नियमानुसार अंगीकृत कर लागू कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक : तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध से प्रेषित कि वे संलग्न उपविधि के प्रारूप को नियमानुसार अंगीकृत कराने की कार्यवाही का कष्ट करें।

1. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, 104 महात्मागान्धी मार्ग, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एच.पी. सिंह
अनुसचिव

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेट बैक में चौकीदार रूम–कम–वाच टावर व अन्य ऐसी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं जो कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों को पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उपविधि :–

1. यह उपविधि सम्पूर्ण लखनऊ विकास क्षेत्र में लागू होगी।
2. इस उपविधि हेतु ''अतिविशिष्ट व्यक्तियों'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होगा जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जेड–श्रेणी अथवा उससे उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होगी।
3. इस उपविधि के प्राविधान 'अतिविशिष्ट व्यक्तियों' के आवास एवं कार्यालय के ऐसे भवन मानचित्रों पर लागू होगी, जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल न्यनतम 1000 वर्गमीटर होगा।
4. भवन मानचित्रों में महायोजना भू–उपयोग की अनुमन्यता को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम भू–आच्छादन, एफ.ए.आर., सेटबैक एवं अन्य समस्त प्राविधान लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू भवन विकास उपविधिके अनुसार ही होगें।
5. 'अतिविशिष्ट व्यक्तियों' की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा उपलबध कराये गये मापदण्डों के आधार पर सेटबैक क्षेत्र में चौकीदार रूम कम वाच टावर अनुमन्य होगा। वाच टावर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की गणना भू–तल आच्छादपन क्षेत्र में नहीं की जायेगी, जबकि चौकीदार रूम की गणना अनुमन्य भू–तल आच्छादन क्षेत्र में अन्तर्गत की जायेगी।
6. अतिविशिष्ट व्यक्तियों हेतु पृथक से उपलब्ध करायी जाने वाली अन्य आवश्यक मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा ट्यूबवेल/बोरवेल, ट्रान्सफारमर (सब स्टेशन) इत्यादि की प्रस्तावना सम्बन्धित विभागों के मापदण्डों के अनुरूप सेटबैक क्षेत्र में की जा सकती है तथा यदि इन सुविधाओं हेतु कोई पक्का कमरा इत्यादि बनाने की आवश्यकता होती है ता उसकी गणना भूखण्ड हेतु अनुमन्य भू–तल आच्छादन में की जायेगी।
7. इस उपविधि के अन्तर्गत भवन मानचित्रों के ऐसे प्रस्ताव, जिस हेतु अग्नि शमन सुरक्षा के दृष्टिगत नियमानुसार अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, में उपर्युक्त बिन्दु संख्या–5 एवं 6 के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों की प्रस्तावना इस प्रकार से की जायेगी कि मूल भवन के चतुर्दिक अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक खुला क्षेत्र उपलब्ध हो।